

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं0 4688  
31 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी

4688. श्री भर्तृहरि महताब :

श्री पल्लब लोचन दास:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा द्वारका सहित दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को अपने फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि के लिए अनुमति दिये जाने के संबंध में ब्यौरा और अनुमति दिये जाने की तिथि क्या है;

(ख) उन सोसायिटियों का ब्यौरा क्या है जिनके एफएआर को बढ़ाने के अनुरोध डीडीए ने अस्वीकृत कर दिए हैं /लंबित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीडीए मौजूदा भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा से समझौता करते हुए और उनमें रहने वाले निवासियों को जोखिम में डालकर मौजूदा संरचनाओं पर अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के लिए समितियों को अनुमति दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के अनुसार अनुमेय अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के लिए 23.04.2012 से अनपालन किए जा रहे संशोधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 और दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उप-नियमों (यूबीबीएल)-

2016 के अनुसार द्वारका में 34 सीजीएचएस सहित दिल्ली में कुल 37 सहकारी आवास समितियों (सीजीएचएस) को अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के उपयोग के लिए डीडीए द्वारा भवन योजनाओं की मंजूरी दी गई है। यह ब्यौरा अनुलग्नक 'क' में संलग्न किया गया है।

(ख): डीडीए ने सूचित किया है कि पिछले पांच वर्षों से अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के लिए द्वारका में 13 सीजीएचएस सहित दिल्ली में कुल 16 सीजीएचएस के अनुरोध/बिल्डिंग परमिट को डीडीए द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऐसे अनुरोधों को अस्वीकृत करने का कारण दिल्ली के लिए यूबीबीएल 2016 और एमपीडी- 2021 के निर्धारित मानकों को पूरा न कर पाना था। यह ब्यौरा अनुलग्नक 'ख' में संलग्न किया गया है। डीडीए ने आगे सूचित किया है कि दिल्ली में कुल 07 सीजीएचएस (सभी द्वारका में हैं) के अनुरोध/बिल्डिंग परमिट अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के लिए डीडीए के पास लंबित हैं। ऐसे अनुरोधों के लंबित होने का कारण दिल्ली के लिए यूबीबीएल-2016 और एमपीडी-2021 के प्रावधानों के अनुसार दी गई कमियों को दूर न कर पाना है। यह ब्यौरा अनुलग्नक 'ग' में संलग्न किया गया है।

(ग) और (घ): डीडीए ने सूचित किया है कि वह एमपीडी-2021 और दिल्ली के लिए यूबीबीएल-2016 के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा संरचनाओं पर अतिरिक्त एफएआर के उपयोग के लिए भवन योजनाओं को मंजूरी दे रहा है जिसमें संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है जिसे बिल्डिंग परमिट के लिए आवेदन करते समय योग्य स्ट्रक्चरल अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है।

डीडीए ने आगे सूचित किया है कि सहकारी आवास समितियों के लिए अतिरिक्त एफएआर के उपयोग की अनुमति राजपत्र अधिसूचना एसओ 2690 (ई) दिनांक 11.08.2016 के तहत दी गई है। यह दिनांक 23.04.2012 से लागू डीडीए कार्यालय आदेश दिनांक 16.04.2012 का अधिक्रमण करता है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक 'क'

क्रम सं	फाइल सं	परियोजना	स्वीकृत तिथि
1.	सीजीएचएस/0133/19-20	कुमुदी सीजीएचएस लि.	27 दिसंबर, 2021
2.	डीडब्ल्यू 22/0070/2021	हिमालयन सीजीएचएस लि.	15 नवंबर, 2021
3.	डीडब्ल्यू11/0047/2021	चिनियट सीजीएचएस लि.	14 अक्टूबर 2021
4.	डीडब्ल्यू4/0079/20-21	श्री न्यू अनामिका सीजीएचएस लि.	23 दिसंबर, 2020
5.	डीडब्ल्यू22/0221/19-20	महावीर सीजीएचएस लि.	10 दिसंबर, 2020
6.	डीडब्ल्यू22/0209/19-20	एनएवी संसद विहार सीजीएचएस लि.	10 दिसंबर, 2020
7.	डीडब्ल्यू7/0588/18-19	सरगोधा विहार सीजीएचएस लि.	13 नवंबर, 2020
8.	डीडब्ल्यू22/0014/20-21	ग्रीन वैली सीजीएचएस लि.	13 नवंबर, 2020
9.	डीडब्ल्यू7/0138/19-20	सेंट कोलंबस सीजीएचएस लि.	13 नवंबर, 2020
10.	डीडब्ल्यू12/0208/19-20	मैसर्स अभियान सीजीएचएस लि.	23 सितंबर, 2020
11.	डीडब्ल्यू5/0038/19-20	नवीन सीजीएचएस लि.	31 अक्टूबर, 2019
12.	पीवी/0103/19-20	गैसता सीजीएचएस लि.	13 नवंबर, 2020
13.	डीडब्ल्यू10/0062/19-20	राष्ट्रपति भवन कैबिनेट अफेयरस् सीजीएचएस लिमिटेड।	02 जनवरी, 2020
14.	डीडब्ल्यू4/0126/17-18	ईसीआईएल सीजीएचएस लि.	23 अगस्त, 2019
15.	डीडब्ल्यू6/0749/18-19	शिवलोक सीजीएचएस लि.	23 अगस्त, 2019
16.	डीडब्ल्यू12/0575/18-19	रक्षा लैंड और कैंट	24 जून, 2019
17.	डीडब्ल्यू12/0767/18-19	विक्रम नगर सीजीएचएस लिमिटेड	24 जून, 2019
18.	डीडब्ल्यू23पी/0686/18-19	डबास सीजीएचएस लि.	09 अप्रैल, 2019
19.	डीडब्ल्यू2/0698/18-19	मंदाकिनी सीजीएचएस लि.	09 अप्रैल, 2019
20.	डीडब्ल्यू3/0559/18-19	बालाजी सीजीएचएस लि.	23 फरवरी, 2019
21.	डीडब्ल्यू5/0558/18-19	शाहदरा सीजीएचएस लि.	22 फरवरी, 2019
22.	डीडब्ल्यू5/0595/18-19	श्री घनीनाथ सीजीएचएस लिमिटेड	22 फरवरी, 2019
23.	डीडब्ल्यू5/0663/18-19	नई प्रियदर्शनी सीजीएचएस लि.	23 फरवरी, 2019
24.	डीडब्ल्यू11/0021/19-20	श्री दुर्गा सीजीएचएस लिमिटेड	18 नवंबर, 2019

25.	डीडब्ल्यू10/0521/18-19	चंदनवारी सीजीएचएस लि.	23 अगस्त, 2019
26.	डीडब्ल्यू11/0720/18-19	सीमा सीजीएचएस लि.	23 अगस्त, 2019
27.	डीडब्ल्यू5/0435/18-19	जवाहरलाल सीजीएचएस लि.	17 दिसंबर, 2018
28.	डीएचपी/0529/18-19	आईएसआई सीजीएचएस लि.	17 दिसंबर, 2018
29.	डीडब्ल्यू22/0546/18-19	दिल्ली अपार्टमेंट सीजीएचएस	20 नवंबर, 2018
30.	डीडब्ल्यू6/0055/18-19	यंगस्टर सीजीएचएस लि.	26 नवंबर, 2018
31.	डीडब्ल्यू4/0109/17-18	डीपीएस सीजीएचएस लि.	14 अगस्त, 2018
32.	डीडब्ल्यू4/0045/17-18	रत्नाकर सीजीएचएस लि.	14 जुलाई, 2018
33.	डीडब्ल्यू6/0044/17-18	डायमंड स्क्वायर सीजीएचएस लि.	03 जुलाई, 2018
34.	डीडब्ल्यू6/0059/17-18	सबका घर सीजीएचएस लि.	03 जुलाई, 2018
35.	डीडब्ल्यू11/0161/18-19	यंग प्रोफेशनल सीजीएचएस लिमिटेड	03 दिसंबर, 2018
36.	डीडब्ल्यू11/0144/17-18	सद्भावना सीजीएचएस लि.	19 नवंबर, 2018
37.	वीपी/0113/17-18	ईआईएल कर्मचारी सीजीएचएस आनंद कुंज विकास पुरी	09 जुलाई, 2018

\*\*\*\*

अनुलग्नक 'ख'

क्रम सं .	फ़ाइल सं .	परियोजना	अस्वीकृति तिथि	डीडीए द्वारा उल्लिखित अस्वीकृति के कारण
1.	डीडब्ल्यू22/07 80/18-19	हिमालयन सीजीएचएस लि.	13 जुलाई, 2021	वास्तुकार बदल जाने के कारण सोसायटी के अनुरोध पर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।
2.	डीडब्ल्यू6/009 9/20-21	रुद्र सीजीएचएस लि.	18 फरवरी, 2021	पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत नहीं करना।
3.	डीडब्ल्यू12/00 77/20-21	यूनिवर्सल ब्रदरहुड कंपनी ओ.पी. जीआर. एचएसजी. सोसाइटी	12 नवंबर, 2020	वास्तुकार के निधन के कारण सोसायटी के अनुरोध पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था।
4.	डीडब्ल्यू4/014 4/19-20	श्री न्यू अनामिका सीजीएचएस लि.	10 सितंबर, 2020	दिल्ली यूबीबीएल-2016 के मानदंडों के अनुसार संशोधित ड्राइंग प्रस्तुत न करने के कारण।
5.	डीडब्ल्यू22/01 78/19-20	ग्रीन वैली सीजीएचएस लि.	11 अप्रैल, 2020	पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत नहीं करना।
6.	डीडब्ल्यू22/00 66/19-20	भगवती सीजीएचएस लिमिटेड	05 फरवरी, 2021	एएआई के निर्देशों का पालन न करना और अप-टू-डेट समय विस्तार (ईओटी) प्रस्तुत न करना।
7.	डीडब्ल्यू12/01 15/19-20	अभियान सीजीएचएस लि.	10 जनवरी, 2020	भवन अनुमति शुल्क जमा न करना।
8.	डीडब्ल्यू12/08 22/18-19	नवसंजीवन सीजीएचएस लि.	02 दिसंबर, 2019	यूबीबीएल दिल्ली-2016/एमपीडी-21 के अनुसार संशोधित ड्राइंग और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना जैसे (1) डाइमेंशन और विवरण जोड़ा नहीं गया (2) अपूर्ण पार्किंग योजना (3) गलत क्षेत्रफल गणना।
9.	डीडब्ल्यू7/058 9/18-19	नेहरू सीजीएचएस लि.	04 जनवरी, 2020	संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत न करने और दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) और दिल्ली अग्निशमन

				सेवा (डीएफएस) द्वारा अस्वीकृति के कारण।
10.	डीडब्ल्यू22/00 72/17-18	उद्योग विहार सीजीएचएस	29 जुलाई, 2018	यूबीबीएल दिल्ली-2016/एमपीडी-21 के अनुसार संशोधित ड्राइंग और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना जैसे (1) मृदा परीक्षण रिपोर्ट (2) स्ट्रक्चरल अभियंता की डिग्री/लाइसेंस।
11	डीडब्ल्यू2/009 4/17-18	आरती सीजीएचएस लि.	30 दिसंबर, 2018	डीएफएस की शर्तों का पालन न करना, (1) संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र और (2) फॉर्म ए-2 - पेशेवरों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना।
12.	पीवी/0094/2 0-21	रक्षा कर्मचारी सीजीएचएस लि.	18 फरवरी, 2022	सामान्य कब्जा-सह-पूर्णता प्रमाणपत्र अनुरोध प्रपत्र (सीओसीसीआरएफ), लिफ्ट निर्माता प्रमाणपत्र, अद्यतन ईओटी, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म, बेसमेंट के लिए क्षतिपूर्ति बांड, श्रम सेस, डीयूएसी प्रोफार्मा, अधूरा लेआउट, पार्किंग और लैंडस्केप प्लान जैसे दस्तावेजों को जमा न करना।
13.	वीपी/0831/1 8-19	एयरपोर्ट सीजीएचएस विकासपुरी	05 फरवरी, 2021	यूबीबीएल दिल्ली-2016/एमपीडी-21 के अनुसार संशोधित ड्राइंग और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना जैसे (1) अपूर्ण लेआउट योजना (2) दस्तावेजों का निर्धारित प्रारूप के अनुसार न होना (3) गलत क्षेत्रफल गणना।
14.	वीपी/0526/1 8-19	एसबीआई कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड	22 फरवरी 2020	डीयूएसी और डीएफएस की टिप्पणियों का अनुपालन न करने के कारण।

15.	डीडब्ल्यू10/07 91/18-19	सरल सीजीएचएस लि.	05 दिसंबर, 2019	प्री डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स (प्री डीसीआर) ड्राइंग फाइल को प्रस्तुत न करना।
16.	डीडब्ल्यू11/07 47/18-19	माडेस्ट केतकी सीजीएचएस लि.	01 अगस्त, 2019	पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत नहीं करना।

अनुलग्नक 'ग'

सं .	फ़ाइल संख्या	परियोजना	डीडीए के अनुसार लंबित रहने के कारण
1.	डीडब्ल्यू12/0244/20-21	नवसंजीवन सीजीएचएस लि.	डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा करने, सही लेआउट योजना, क्षेत्रफल विवरण और पार्किंग योजना प्रस्तुत करने संबंधी कमियां बताई गई हैं। इसे आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाना बाकी है।
2.	डीडब्ल्यू12/0233/19-20	विक्रम नगर सीजीएचएस लिमिटेड	अभी तक डीयूएसी और डीएफएस की सिफारिशों को शामिल करते हुए आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्ताव को फिर से प्रस्तुत किया जाना है।
3.	डीडब्ल्यू2/0048/2021	आरती सीजीएचएस लि.	फ़ाइल कानूनी राय के लिए भेजी जाती है क्योंकि परिसर से संबंधित एक अदालती मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	डीडब्ल्यू7/0243/20-21	कमल विहार सीजीएचएस लि.	यूबीबीएल दिल्ली-2016 के अनुसार शुद्ध किए गए सामान्य आवेदन पत्र [सीएएफ], योग्य पेशेवर के प्रमाणपत्र/डिग्री/लाइसेंस और शुद्ध किए गए ड्राइंग को जमा करने संबंधी कमियां बताई गई हैं।
5.	डीडब्ल्यू7/0022/2021	नेहरू सीजीएचएस लि.	डीयूएसी पोर्टल पर उनके अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए प्रस्ताव लंबित है।
6.	डीडब्ल्यू10/0243/2021	शमा सीजीएचएस लि.	यूबीबीएल-2016 के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज अर्थात आर्किटेक्ट और सुपरवाइजर की शैक्षिक योग्यता का प्रमाण, प्राधिकरण पत्र की प्रति और शुद्ध ड्राइंग प्रस्तुत करने संबंधी कमियां बताई गई हैं। इसे आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत



			किया जाना बाकी है।
7.	डीडब्ल्यू10/0160/19-20	प्रभावी सीजीएचएस लि.	सही लेआउट योजना, क्षेत्रफल विवरण और पार्किंग योजना प्रस्तुत संबंधी कमियां बताई गई हैं। इसे आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाना बाकी है।